संख्या-65/2025/001-653-24-1-2025-1049-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा रू0 7439.20 करोड़ के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु प्राविधानित अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-456/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2025-26/468, दिनांक 22 जुलाई, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूँजीगत मद के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-15-30 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा रूपये 7439.20 करोड़ के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 1534,79,20,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ चौंतीस करोड़ उन्यासी लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1142,99,65,938/- (रूपये एक हजार एक सौ बयालिस करोड़ निन्नयन्वे लाख पैंसठ हजार नौ सौ अड़तीस मात्र) में से द्वितीय त्रैमास हेतु बंधपत्रों पर देय ब्याज सहित पुर्नभुगतान की धनराशि रूपये 387,79,35,652/- (रूपये तीन सौ सत्तासी करोड़ उन्यासी लाख पैंतीस हजार छः सौ बावन मात्र) को निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,87,79,35,652 (रुपये तीन अरब सत्तासी करोड़ उनासी लाख पैंतीस हजार छह सौ बावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051901500 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी रू. 7439.20 करोड के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-37-X-2025-26-दिनांक:4-8-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

<u>संख्या- 65 /2025/ 001-653(1)-24-1-2025-1049-2021, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in